

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

NO.E(NG)I-2008/PM1/15

New Delhi, dated 03.03.2017

The General Managers (P)
All Indian Railways & PUs.
(As per standard list)

Sub : Revised Classification and mode of filling up of non-gazetted posts – Scheme for filling up of vacancies after 31.12.2016.

Ref: Board's letters of even no dated 03.09.2009, 07.06.2010, 21.11.2011, 23.05.2012, 15.1.2013, 24.05.2013, 03.01.2014, 16.06.2014, 31.12.2014 & 09.02.2016 on the above subject.


Attention is drawn to Board's order issued on 03.09.2009, consequent upon implementation of 6th CPC recommendations, regarding mode of filling up of Non-gazetted posts consequent upon merger of grades. The above scheme of such mode of filling up of non-gazetted posts has since been extended from time to time, last validity being till 31.12.2016.

2. 7th CPC, in its report in para 5.1.45 has recommended that benchmark for performance appraisal for MACP as well as for regular promotion be enhanced from 'Good' to 'Very Good'. While recommendation for MACP has been accepted by Government and instructions in this regard have been issued vide Board's letter No.PC-V/2016/MACPS/1 dated 19.12.2016 (RBE No.155/2016), the issue regarding benchmark for regular promotion is still under examination in consultation with DoP&T.

3. Accordingly, it has been decided by the Board that till such time instructions for benchmark for regular promotion are issued, the existing methodology and benchmarks for promotion, as enumerated in the Board's letters referred to above, may continue till further orders.

Please acknowledge receipt of this letter.

बोर्ड के उपरोक्त संदर्भित पत्रों में उल्लिखित पदोन्नति विधि व बेन्चमार्किंग अगले आदेश तक जारी रखी जाये।


(P. M. Meena)
Deputy Director-II/E(NG)I
Railway Board.

आरबीई सं. 20/2017

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAYS BOARD)

ई(एनजी)I-2008/पीएम1/15

नई दिल्ली, दिनांक 03.03.2017

सहायक(पी),
भारतीय रेलों एवं उत्पादन इकाइयां,
मानक सूची के अनुसार)

विषय: अराजपत्रित पदों का संशोधित वर्गीकरण और उन्हें भरने की विधि - 31.12.2016 के बाद की रिक्तियों को भरने की योजना।

संदर्भ: उपर्युक्त विषय पर बोर्ड के दिनांक 03.09.2009, 07.06.2010, 21.11.2011, 23.05.2012, 15.1.2013, 24.05.2013, 03.01.2014, 16.06.2014, 31.12.2014 और 09.02.2016 के समसंख्यक पत्र।

6ठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के परिणामस्वरूप ग्रेडों के विलय होने पर अराजपत्रित पदों को भरने की विधि के संबंध में बोर्ड के दिनांक 03.09.2009 के आदेश की ओर ध्यान दिलाया जाता है। अराजपत्रित पदों को भरने की इस विधि की उपर्युक्त योजना को समय-समय पर बढ़ाया जाता रहा है जिसकी अंतिम वैधता 31.12.2016 तक है।

2. 7वें वेतन आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पैरा 5.1.45 में सिफारिश की है कि एमएसीपी और साथ ही नियमित पदोन्नति के लिए निष्पादन मूल्यांकन के लिए बेंचमार्क को "अच्छा" से बढ़ाकर "बहुत अच्छा" किया जाए। जहां एमएसीपी की सिफारिश सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई है और इस संबंध में बोर्ड के दिनांक 19.12.2016 (आरबीई सं. 155/2016), के पत्र सं. पीसी-V/2016/एमएसीपीएस/1 के तहत अनुदेश जारी किए गए हैं, वहीं कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से परामर्श करके नियमित पदोन्नति के लिए बेंचमार्क से संबंधित मामले की अभी जांच की जा रही है।

3. तदनुसार, बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि जब तक नियमित पदोन्नति के लिए बेंचमार्क के लिए अनुदेश जारी नहीं किए जाते हैं, तब तक बोर्ड के उपर्युक्त पत्रों में दर्शाई गई पदोन्नति के लिए मौजूदा विधि और बेंचमार्क अगले आदेश होने तक जारी रखे जाएं।

कृपया इस पत्र की पावती दें।

(पी. एम. मीना)
उप निदेशक-II/ई(एनजी)I
रेलवे बोर्ड